विभाग का नाम :—श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :— 5— शाम नाथ मार्ग, दिल्ली—110054
अतारांकित प्रश्न संख्या :— 175
प्रश्नकर्त्ता का नाम :— श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य, दिल्ली विधान सभा
दिनांक :— 8 अगस्त, 2018
क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में अब ठेके के कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे सरकार करेगी;	ठेका श्रम (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 4 के अंतर्गत दिल्ली ठेका सलाहकार श्रम बोर्ड का पुनर्गठन दिनॉक 14—11—2017 को अधिसूचना द्वारा किया गया । यह 13 सदस्यों का एक त्रिपक्षीय बोर्ड है । बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं और इनके सदस्यों में दिल्ली विधान सभा के दो माननीय विधायक भी सदस्य हैं, इनके अतिरिक्त सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल हैं । बोर्ड की पाँचवीं बैठक दिनांक 18—07—2018 को आयोजित की गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में सरकारी विभागों में ठेकेदारों को हटाकर विभाग ठेकेदारों के श्रमिकों को सीधे विभाग में ठेके पर नियुक्त करेगा ।
(ख)	इससे कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की आशा है;	ठेके पर काम कर रहे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जो भिन्न —भिन्न विभागों में काम कर रहे है।
(ग)	इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है;	बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर श्रम विभाग को सौंप दिया है, जो सभी विभागों से सूचना एकत्रित कर कैबिनेट नोट पेश करेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात यह योजना लागू की जाएगी।
(घ)	दिल्ली सरकार किस नियम के अंतर्गत सीधे नियुक्ति करने जा रही है;	ठेंका श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ।
(ङ)	क्या माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशों तथा केन्द्र सरकार के निर्धारित नियमों के अंतर्गत ये नियुक्तियां की जायेंगी; इसकी विस्तृत जानकारी दें;	जी हाँ ।

Secretary cum Commissioner (Labour)

(च)	क्या इस विषय में विधि तथा वित्तीय विभाग की सहमति ली गई;	योजना बनाने के पश्चात, विधि तथा वित्तीय विभाग से सलाह/सहमति ली जाएगी ।
(छ)	यदि हां, तो उनकी क्या टिप्पणियां थीं; और	उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।
(ज)	यदि नहीं, तो इस पर इन विभागों की सहमति क्यों नहीं ली गई?	उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष) (Lin)

Secretary cum Commissioner (Labour)